फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना अमृतपुर

दिनांक - 24.10.2026

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2026 धारा 80(2)/85 BNS व 3/4 डीपी एक्ट बनाम अभय प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भुवनपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. अभय प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भुवनपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी द्वारा दिनांक 10.10.2026 को अभियुक्त द्वारा वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम अभय प्रताप सिंह आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के

क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अभय प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भुवनपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त अभय उपरोक्त नें पूछताछ करने पर अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अभय प्रताप सिंह उर्फ संगम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 80(2)/85 BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक राजीव पाण्डेय
02. उ0नि0 राहुल सिंह
03. उ0नि0 सुरेश कुमार
04. का0 सचिन
05. का0 नवनीत
06. म0का0 मेघा

मीडिया सेल फतेहगढ़।